

कार्यालय वन संरक्षक/क्षेत्रीय निदेशक, सामाजिक वानिकी, मेरठ क्षेत्र, मेरठ  
(223/1 सिविल लाइन मेरठ-250001)

पत्रांक 2999/14-1, दिनांक, मेरठ 05 फरवरी 2026।

सेवा में,

मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी,  
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

विषय:- कार्योपरान्त स्वीकृति (Expost facto Approvel) के अन्तर्गत दिल्ली-कानपुर मार्ग (एन0एच-91) के कि0मी0 60 (चैनेज 59.180) की दायी पटरी के किनारे ग्राम लालपुर के खसरा संख्या-165 में हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कारपो0लि0 के रिटेल आउटलेट के सम्पर्क मार्ग के निर्माण हेतु 0.1689245 हे0 संरक्षित वन भूमि गैरवानिकी प्रयोग एवं बिना वृक्ष पातन की अनुमति के सम्बन्ध में।

संदर्भ:- 1-भारत सरकार की पत्र संख्या-8बी/यू0पी0/06/173/2023/एफ0सी0, दिनांक 13.11.2023।  
2-आपका पत्रांक 1273/11सी, दिनांक 16.11.2023।  
3-प्रभागीय निदेशक, सामाजिक वानिकी प्रभाग, बुलन्दशहर का पत्रांक 3413/14-1, दिनांक 18.02.2026।

महोदय,

उपरोक्त विषयक भारत सरकार की पत्र संख्या-8बी/यू0पी0/06/173/2023/एफ0सी0, दिनांक 13.11.2023 द्वारा लगायी गयी आपित्तियों का निस्तारण प्रभागीय निदेशक, सामाजिक वानिकी प्रभाग, बुलन्दशहर के संदर्भित पत्र दिनांक 18.02.2026 द्वारा निम्नानुसार किया गया है:-

S.no.	Observation	Reply
1	State Government will initiate disciplinary action against the concerned official for not being able to prevent use of forest land for non-forestry purpose without prior approval of Government of India	रिटेल आउटलेट का निर्माण वर्ष 2013-14 में कराया गया था। वर्ष 2013-14 में कार्यरत क्षेत्रीय वन अधिकारी तथा सैक्शन प्रभारी सेवानिवृत्त हो गये है।
2	If the permission for use of forest land for non forestry, purpose has been granted by a State Authority then a report with full details of violation, authority responsible for violation etc. shall be submitted by the State Government on the recommendation of the Forest Department so as to initiate action under section 3A and/ or 38 of FC Act as may be applicable.	संरक्षित वन भूमि को गैर वानिकी प्रयोग के लिए उपयोग करने हेतु अनुमति नहीं दी गयी है।
3	The State Govt. should also inform about the action taken under IFA, 1927	वर्ष 2022 में क्षेत्रीय वन अधिकारी, स्थाना द्वारा एच-2 केस संख्या 12/22-23 (स्थाना रेंज) जारी किया है तथा प्रतिकर के रूप में रू0 70,000/-ई-3 संख्या 33/2633 दिनांक 25.08.2022 के द्वारा वसूल किया गया था।

4	Positional error has been found in the area proposed for diversion. The Geo-referenced map/ KML file needs to be rectified	प्रस्तावित डायवर्जन में भू-संदर्भित मानचित्र/ के0एल0एल0 फाईल को ठीक करा दिया गया है।
5	CA land has been proposed on both sides of the Rad (Linear). CA land needs to be proposed in the forest block Accordingly, revised CA scheme and all related document for plantation of 338 samplings overan area of 0.338 ha.@ 1000 plnantsa\ha shall be submitted and uploaded on PARIVESH Portal	क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण वन ब्लॉक की भूमि में करने हेतु प्रस्तावित किया गया है। तदनुसार 0.338 हे0 क्षेत्र में 338 पौधों के रोपण के लिए संशोधित क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण योजना और सभी सम्बन्धित दस्तावेज परिवेश पोर्टल पर अपलोड कर दिये गये है।
6	NPV and Panel NPV calculation needs to be submitted online as per orders dated 06.01.2022 and 19.01.2022	एन0पी0वी0 एवं दण्डात्मक एन0पी0वी0 गणना कर ऑनलाईन अपलोड कर दी गयी है।
7	FRA certificate need to be submitted online on portal.	एफ0आर0ए0 प्रमाण पत्र की वचनबद्धता ऑनलाईन अपलोड कर दी गयी है। एफ0आर0ए0 प्रमाण पत्र सैद्धांतिक स्वीकृति (स्टेज-01) प्राप्त होने पर भेजन दिया जायेगा।

अतः प्रभागीय निदेशक बुलन्दशहर से प्राप्त आख्या सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

भवदीय,

(आदर्श कुमार)

वन संरक्षक/क्षेत्रीय निदेशक,  
सामाजिक वानिकी, मेरठ वृत्त, मेरठ।

पत्रांक / दिनांकित।

प्रतिलिपि प्रभागीय निदेशक, सामाजिक वानिकी प्रभाग, बुलन्दशहर को उनके संदर्भित पत्र के क्रम में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

(आदर्श कुमार)

वन संरक्षक/क्षेत्रीय निदेशक,  
सामाजिक वानिकी, मेरठ वृत्त, मेरठ।